उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड

निदेशालय
उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड
मण्डी भवन, रूद्रपुर (ऊधम सिंह नगर)

फोन नं. 05944–250055, 250056, 250058
फैक्स नं. 05944–250057, 250059

Website- www.ukapmb.org
E-mail- uamandi@rediffmail.com

परिचय

उत्तराखण्ड राज्य में स्थित कृषि उत्पादन मण्डी समितियों के कर्तव्यों एवं उददेश्यों के कार्य संचालन तथा उनकी विकास योजनाओं की निगरानी, नियन्त्रण और मार्गदर्शन के लिए उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड का गठन उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–146(2) कृषि–मण्डी–2000 दिनांक : 27 दिसम्बर, 2000 द्वारा किया गया है। विपणन बोर्ड का मुख्यालय रुद्रपुर जनपदः उधम सिंह नगर में स्थापित है।

उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड के नियंत्रणाधीन मण्डी समितियाँ

वर्तमान में उत्तराखण्ड में 26 मण्डियाँ विनियमित है जिनमें 22 मण्डियाँ कार्यशील है तथा पर्वतीय क्षेत्र की 4 मण्डियों (उत्तरकाशी, टिहरी, अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़) में विनियमन के प्राविधानों को लागू करने की कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान में कार्यशील 22 मण्डी समितियों का वर्ग/श्रेणीवार वितरण निम्नानुसार है:–

क्रम सं0	वर्ग/श्रेणी	संख्या	मण्डी का नाम
1.	"क" विशिष्ट	7	हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, सितारगंज, किच्छा, खटीमा एवं देहरादून
2.	"क"	5	ऋषिकेश, मंगलौर, रूड़की, जसपुर एवं हरिद्वार यूनियन
3.	"ख"	6	रामनगर, बाजपुर, टनकपुर, विकासनगर कोटद्वार एवं गदरपुर
4.	"ग"	4	चकराता, लक्सर, चमोली एवं भगवानपुर

उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड की कल्याणकारी योजनायें

उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड द्वारा कृषक/उत्पादन व कृषि कार्य से जुड़े हुए लोगों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए निम्न कल्याणकारी योजनायें संचालित की गई है–

1. छात्रवृत्ति योजना–

उत्तराखण्ड राज्य के कृषकों व कृषि कार्य से जुड़े हुए लोगों के अधिक से अधिक मेधावी छात्रों को योजना का लाभ अनुमन्य कराने के उद्देश्य से छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत पं0 गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पन्तनगर (ऊधमसिंह नगर), आर0एम0पी0 कालेज, नारसन (हरिद्वार), उत्तराखण्ड औद्योनिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार के अन्तर्गत वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली औद्योनिकी महाविद्यालय, भरसार एवं पर्वतीय कृषि एवं वानिकी महाविद्यालय, रानीचौरा में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

उपरोक्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में छात्रों की संख्या एवं छात्रवृत्ति की धनराशि पाठ्यक्रमवार निम्नवत है।

चयनित कृषि विश्वविद्यालय	अध्ययनरत कक्षा	कृषि संकाय	वानिकी संकाय	मत्स्य संकाय	औद्योनिकी संकाय	योग	छात्रवृत्ति की धनराशि (प्रति माह/प्रति छात्र)
कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर	स्नातक	20	05	05	05	35	1500.00
	स्नातकोत्तर	05	02	02	02	11	1500.00
कृषि महाविद्यालय, नारसन	स्नातक	12	–	–	–	12	1500.00
	स्नातकोत्तर	04	–	–	–	04	1500.00
वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली औद्यानिकी महाविद्यालय, भरसार	स्नातक	–	–	–	05	05	1500.00
पर्वतीय कृषि एवं वानिकी महाविद्यालय, रानीचौरा	स्नातक	–	05	–	–	05	1500.00
	स्नातकोत्तर	01	–	–	02	03	1500.00

2. कृषक उत्पादक क्षति सहायता योजना–

इस योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड के अधिसूचित मण्डी क्षेत्रों में खेत में तैयार फसल/खेत में कटी फसल अथावा मड़ाई हेतु खलिहान में रखी फसल/उपज अवशेष अंश का अग्नि दुर्घटना से हुई क्षतिपूर्ति, कृषक के मकान में आग लगने से सम्पत्ति एवं पशुधन की क्षति तथा बाढ़ अथवा वर्षा से कृषि योग्य भूमि के कटाव से हुई क्षति पूर्ति हेतु निम्नवत प्राविधानों एवं नियमों के अनुसार वित्तीय सहायता (दावे के रूप में) प्रदान की जाती है।

(क) योजना का कार्य क्षेत्रः– खेत में तैयार फसल/खेत में कटी फसल अथवा मड़ाई हेतु खलिहान में एकत्रित फसल सामान्यतः 45 दिनों तक तथा असामान्य अवस्था (प्रतिकूल मौसम) में 60 दिनों तक बाह्य दृष्टिगत कारणों द्वारा हुई दुर्घटना से अथवा तड़ित (लाईटिनिंग) द्वारा लगी अग्नि से हुई हानि, मकान में अचानक आग लग जाने अथवा बाढ़ एवं भूस्खलन से कृषि की हानि।

(ख) क्षति सहायता धनराशिः– कृषक के सम्बन्ध में नीचे दिये गये जोत विवरण की सीमा के आधार पर उनको देय धनराशि का विवरण निम्नवत् हैं–

जोत सीमा	देय धनराशि
(अ) सीमान्त एवं लघु दो हैक्टेयर अर्थात 5 एकड़ तक भूमि रखने वाले को	अधिकतम रु0 20,000/– अथवा वास्तविक आंकलित क्षति जो भी कम हो
(ब) सामान्य कृषक 2 हैक्टेयर या 5 एकड़ से अधिक भूमि रखने वाले को	अधिकतम रु0 24,000/– अथवा वास्तविक आंकलित क्षति जो भी कम हो

3. व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना–

इस योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड के अधिसूचित क्षेत्रों के किसानों, खेतिहर मजदूरों तथा मण्डी मजदूरों, जो कृषि कार्य अथवा कृषि उपकरणों के संचालन में संलग्न है अथवा कृषि सम्बन्धी बिजली उपकरणों अथवा कुओं की खुदाई अथवा गहराई बढ़ाने हेतु कार्यरत है, अथवा ट्रेक्टर का उपयोग कृषि उत्पादन की ढुलाई/थ्रेसिंग करते समय तथा अन्य कृषि कार्य करते समय दुर्घटना ग्रस्त होने पर और उनके फलस्वरूप शारीरिक क्षति/अपंगता/मृत्यु होने पर, उसकी क्षति पूर्ति हेतु विपणन बोर्ड द्वारा मण्डी समितियों के माध्यम से उक्त योजना को संचालित किया जा रहा है। उक्त क्षतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित किये जाने वाले प्राविधानों एवं नियमों के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगीः

योजना आवरण का कार्य क्षेत्रः–इस योजना के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति हेतु दुर्घटना से मृत्यु अथवा विकलांगता जिसमें कि अंग से हानि (शरीर से अलग होने पर) शामिल है एवं आंखों की क्षति कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित कार्य करते समय होने पर ही स्वीकार होगी। इस योजना का कार्य क्षेत्र केवल उत्तराखण्ड है। उत्तराखण्ड के समस्त कृषक तथा खेतिहार मजदूर

एवं मण्डी समिति के मजदूर जो केवल कृषि अथवा कृषि से सम्बन्धित कार्य में सम्मिलित रहते हुए अथवा मण्डी समिति के मुख्य बाजार (हाता यार्ड/उप बाजार/सब यार्ड) या जहां खाद्य आपूर्ति विभाग या खाद्य निगम या अन्य कृषि उत्पादकों एवं खरीदारों के मध्य कृषि उत्पाद का क्रय–विक्रय होता हो और उसी सीमा में किसी प्रकार का भी कृषि सम्बन्धी कार्य करते हुए दुर्घटना ग्रस्त होने से मृत्यु अथवा शारीरिक क्षति हो गयी हो, इस योजना के सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत आयेगें। यहाँ यह विशेष उल्लेखनीय है कि यदि कोई व्यक्ति या मजदूर किसी ठेकेदार अथवा व्यवसायिक प्रतिष्ठान अथवा स्वयं एक व्यवसायी प्रतिष्ठान अथवा स्वयं एक व्यवसायी की भाँति कोई कार्य कर रहा है तो वह इस योजना के अन्तर्गत संरक्षित नहीं है और उनकी कोई क्षति पूर्ति नहीं की जायेगी। यह योजना दिनांक 31/03/2016 तक के लिए प्रभावी है।

विवरणिका

निर्धारित शर्तो के अन्तर्गत उपयुक्त पात्र, जिनकी वर्णित दुर्घटनाओं द्वारा मृत्यु अथवा शारीरिक क्षति हुई हो वित्तीय सहायता दावे के रूप में निम्नानुसार दी जायेगी–

(क) दुर्घटना द्वारा मृत्यु होने पर रु0 1,00,000.00

(ख) दुर्घटना द्वारा दोनों हाथ/पैर या दोनों आँखों या उपरोक्त में से कोई दो की क्षति होने पर रु0 60,000.00

(ग) दुर्घटना द्वारा एक हाथ/पैर अथवा एक आंख की क्षति होने पर रु0 30,000.00

(घ) दुर्घटना द्वारा एक हाथ/पैर की एक साथ चार अंगुलियों की क्षति होने पर रु0 28,000.00

(कृ) दुर्घटना द्वारा हाथ/पैर की एक साथ तीन अंगुलियों की क्षति होने पर रु0 20,000.00

(च) दुर्घटना द्वारा हाथ/पैर की अंगूठे की क्षति होने पर रु0 18,000.00

(छ) अंगूठे को छोड़कर किसी भी एक या दो अंगूली की क्षति होने पर रु0 3,000.00

कृपया सम्पर्क करें

उत्तराखण्ड विपणन बोर्ड द्वारा संचालित उपरोक्त कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी निम्नलिखित मण्डी समितियों से प्राप्त की जा सकती है :

1. हल्द्वानी, 2. रामनगर, 3. रुद्रपुर, 4. काशीपुर, 5. जसपुर 6. सितारगंज, 7. खटीमा, 8. किच्छा, 9. गदरपुर, 10. बाजपुर, 11. टनकपुर, 12. देहरादून, 13. विकासनगर, 14. चकराता, 15. ऋषिकेश, 16. मंगलौर, 17. लक्सर 18. हरिद्वार यूनियन, 19. रुड़की, 20. कोटद्वार, 21. चमोली, 22. भगवानपुर

पर्वतीय जनपद जहाँ मण्डी समितियाँ क्रियाशील नहीं हैं, ऐसे जनपदों के अभ्यर्थी निम्नलिखित मण्डी समितियों से जानकारी प्राप्त कर सकते है।

क्रमांक	जनपद	सम्बद्ध मण्डी का नाम
1	अल्मोड़ा एवं बागेश्वर	हल्द्वानी
2	पिथौरागढ़	टनकपुर
3	टिहरी एवं उत्तरकाशी	ऋषिकेश
4	रूद्रप्रयाग	कोटद्वार

नोट :– कृषक उत्पादक क्षति सहायता योजना का दुर्घटना के 7 दिनों के अन्दर तथा व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना की दुर्घटना की सूचना 45 दिनों के अन्दर मंडी समिति के सचिव अथवा सभापति को देनी होगी।

उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड

विकास के पथ पर

सुधारात्मक कार्यः–

- उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 2011 का 1 नवम्बर 2011 से प्रवर्तन
- संविदा खेती
- निजी मण्डियाँ
- उपज की सीधी खरीद

आधुनिकीकरणः–

- कम्प्यूटरीकृत मण्डियाँ
- इलेक्टानिक वेब्रिज
- डिस्पले बोर्ड के माध्यम से बाजार भावों का प्रदर्शन
- www.ukapmb.org तथा agmarknet.nic.in द्वारा बाजार भावों का प्रदर्शन।

विकास कार्यः–

- 1426 किमी. सड़कें
- 2536 हैण्ड पम्प
- 08 रज्जू मार्ग
- 14 संग्रह केन्द्र
- 05 कृषक–उपभोक्ता बाजार की स्थापना
- 06 जैविक खाद सयंत्रों की स्थापना

कल्याणकारी योजनायेंः–

- 1269 कृषि छात्रों को छात्रवृत्ति
- कृषि कार्यों में 258 किसानों को व्यक्तिगत दुर्घटना पर त्वरित सहायता
- देवीय कारणों से कृषि क्षति पर 276 किसानों को त्वरित सहायता

क्र.सं.	मण्डी समिति का नाम व पता	दूरभाष संख्या
1.	सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी (नैनीताल)।	7351003132
2.	सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, रामनगर (नैनीताल)।	7351003133
3.	सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, बगवाडा रूद्रपुर (उ०सि०नगर)।	7351003134
4.	सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, काशीपुर (उ०सि०नगर)।	7351003135
5.	सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, जसपुर (उ०सि०नगर)।	7351003136
6.	सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, सितारगंज (उ०सि०नगर)।	7351003137
7.	सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, खटीमा (उ०सि०नगर)।	7351003138
8.	सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, आमबाग टनकपुर (चम्पावत)।	05943–266309
9.	सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, किच्छा (उ०सि०नगर)।	7351003140
10.	सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, गदरपुर (उ०सि०नगर)।	7351003141
11.	सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, बाजपुर (उ०सि०नगर)।	7351003142
12.	सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, देहरादून।	7351003143
13.	सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, विकासनगर (देहरादून)।	7351003144
14.	सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, ऋषिकेष (देहरादून)।	7351003145
15.	सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, मंगलौर (देहरादून)।	7351003146
16.	सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, लक्सर (हरिद्वार)।	7351003147
17.	सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हरिद्वार यूनियन ज्वालापुर (हरिद्वार)।	7351003148
18.	सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, कोटद्वार (पौडी गढवाल)।	9927022170
19.	सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, रूड़की (हरिद्वार)।	7351003150
20.	सचिव कृषि उत्पादन मंडी समिति, चकराता	7351003144
21.	सचिव कृषि उत्पादन मंडी समिति, भगवानपुर	01332–232333
22.	**प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, रूद्रपुर (उ०स०नगर)।**	**9412088337**
23.	उप निदेशक (प्रशासन), **उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड**, रूद्रपुर (उ०स०नगर)।	8958827000
24.	वित्त नियंत्रक, **उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड**, रूद्रपुर (उ०स०नगर)।	7500241403
25.	निजि सचिव, निदेशक, **उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड**, रूद्रपुर (उ०स०नगर)।	7351003126
26.	विपणन अधिकारी, **उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड**, रूद्रपुर (उ०स०नगर)।	7351003127
27.	विधि अधिकारी, **उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड**, रूद्रपुर (उ०स०नगर)।	7351078636
28.	सहायक लेखाधिकारी, **उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड**, रूद्रपुर (उ०स०नगर)।	7351020333
29.	अनुभाग अधिकारी, **उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड**, रूद्रपुर (उ०स०नगर)।	7351003129
30.	विधि सहायक, **उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड**, रूद्रपुर (उ०स०नगर)।	7535912912

मण्डी का संकल्प
उत्तराखण्ड का समग्र विकास